



शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1979-80

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवरणका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	1-8
	समालोचना	9
1.	सामान्य सार	11-16
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	17-20
3.	विद्यालय शिक्षा	21-28
4.	महाविद्यालय शिक्षा	29-31
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	32-33
6.	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	34-39
7.	महिला शिक्षा	40-43
8.	शिक्षा संघार कार्यक्रम	44-47
9.	स्थांत्रि के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय महायता	48-52
10.	विविध	53-59
11.	परिशिष्ट 'क'	60-61
12.	परिशिष्ट 'ख'	62-63
13.	परिशिष्ट 'ग'	64-65

“शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1979-80 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा”

वर्ष 1979-80 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भाँति राज्य में शिक्षा के विकास कार्य सामान्य रूप से कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महा विद्यालयों ने भी शिक्षा के विकास में आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सर्वन्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक हैं। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न सूक्ष्म सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने उनसे सम्बन्धित कार्यतमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है।

इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को समृद्धि करने सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिक्षा का विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता में कार्यान्वित करना।

(ब) भिन्न-2 वर्ग के शिक्षकों आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कारने के लिए भिन्न-2 स्तर के अध्यापक/प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता प्राप्तने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) सुपाल एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित आतिथियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, बजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य पुस्तकों तथा अध्यापक प्रस्तिकाओं का उपलब्ध करना।

(च) अन्य कार्यक्रम।

(क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को सहायता से कार्यान्वित करना ।

(1) बजट—रिपोर्टोरीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट संशोधित अनुमान 4884.92 लाख हपा, था जिसमें योजनेतर पर 1558.08 लाख हपा और योजना स्तर पर 326.84 लाख हपा, था ।

2. स्कूलों का खोलना और स्तर का बढ़ाना :—

इस अवधि में सरकार ने 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया ।

3. स्लाक्ष संख्या—

स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छान्तों की कल संख्या वर्ष 1979-80 में 17.50 लाख थी । जिस में से लड़के 12.22 लाख और लड़कियां 5.28 लाख थीं । उनमें प्री-प्राइगरी/प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.67 लाख, माध्यमिक स्तर पर 4.30 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक संख्या 1.52 लाख रही । पिछले वर्षों की अपेक्षा रिपोर्टोरीन वर्ष में स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर स्लाक्ष संख्या में वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा स्तर पर 82415 छात्रों ने राज्य के भिन्न 2 उच्च शिक्षा के स्थानों में शिक्षा प्राप्त की ।

4. अध्यापक—

शिक्षा के विकास के साथ-साथ भिन्न-भिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है । रिपोर्टोरीन अवधि में भिन्न-भिन्न वर्ग के स्कूलों में 30-4-79 को 54612 अध्यापक थे । उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों) शिक्षकों की संख्या 3373 थी । पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षकों की संख्या भी विशेषज्ञ स्कूल स्तर की संस्थाओं में बढ़ी है ।

5. प्राथमिक शिक्षा का विकास -

राज्य में 6-11 आयु वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष

पग उठाये गाा। जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप-आउटस के लिए रिपोर्ट अधीन अवधि में 3345 अनीपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किए गए जिनमें 70166 बच्चों को आथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षात् बनाया गया।

6. उच्च शिक्षा का विवास—

इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 117 रही जिनमें 19 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या 16 थी। रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने 10 अराजकीय महाविद्यालयों को अपने अधीन लिया तथा राजकीय महाविद्यालय सिरसा में मनोविज्ञान, मैट्रिकल, भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत के विषय आरम्भ किए।

वर्ष 1979-80 में राज्य में 82415 छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनमें से 19677 ने राजकीय महाविद्यालय में, 58698 ने अराजकीय महाविद्यालयों में तथा 4040 ने विश्वविद्यालय के टीचिंग विभागों द्वारा शिक्षा प्राप्त की।

7. भवनों की मुरम्मत/निर्माण—

रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय हिमार के गल्झे होस्टल के लिए 12.05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाएं लपलध करने के लिए शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण के लिए बजट में 45 लाख रुपए की व्यवस्था की है तथा इन्हीं ही राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में स्कूल भवन फन्ड में से ही दी जाएगी। विभाग द्वारा स्कूलों के 190 कक्ष बनाने के लिए 78.55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

8. प्रौढ़ शिक्षा —

वर्ष 1979-80 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया। इस अवधि में 3302 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 72693 प्रौढ़ों की मान्यता प्रदान नी गई। जिन में से पहिलायों की संख्या 3981 है।

(ब) भिन्न वर्ग के शिक्षकों की आवश्यकता अनुमार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की भुविभागों का प्रबन्ध करना।

रिपोर्टर्डीन वर्ष में डिलोमा इन एजूकेशन की कक्षाओं का दाखिला सरकार द्वारा पछले वर्ष की भान्ति बन्व रहा, क्योंकि प्राईमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पहले ही काफी अध्यापक बेरोजगार थे। रिपोर्टर्डीन शब्दिय में हिन्दी तथा संस्कृत औ ० टी की कक्षाएं गजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी में खोली गई। इसके अतिरिक्त औ ० टी० पंजाबी की कक्षा रा० जे० बी० टी० स्कूल नारायणगढ़ में आरम्भ की गई ताकि आवश्यकतानुमार इन विषयों के अध्यापक विभाग को उपलब्ध हो सके। अध्यापकों की ध्यवमाधिक दक्षता का वडाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए रिपोर्टर्डीन अवधि में ४१०० प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और १२०० सैकेंडरी अध्यापकों को भिन्न-२ विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए जे० बी० टी० अध्यापकों/बण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) विष्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पाव्रता परखने के पश्चात अनुदान की राशि स्वीकृत करना :

रिपोर्टर्डीन अवधि में विष्वविद्यालयों अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचाल हृप से छलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) विए गए:-

कुरुक्षेत्र विष्वविद्यालय कुरुक्षेत्र	135.24 लाख रुपए
---------------------------------------	-----------------

महार्षि दयानन्द विष्वविद्यालय रांहतक	285.00 लाख रुपए
--------------------------------------	-----------------

अराजकीय महाविद्यालय	183.47 लाख रुपए
---------------------	-----------------

अराजकीय विद्यालय	19.16 लाख रुपए
------------------	----------------

अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे को ७५ प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि देकर पूरा किया जाता है। इसी तरह अराजकीय विद्यालयों को

उनके घाटे को, 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि देकर पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोहारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 59,25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

(ब) सुगंत एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना-

रिपोर्टधीन अवधि में विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भिन्न-2 स्कीमों के अन्तर्गत दी गई।

1. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1469 योग्य छात्रों को 11,10 लाख ₹० की राशि वितरित की गई।

2. 626 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने वालों के लिए 323 लाख ₹० की राशि की छात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी गई।

3. सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 609 हरियाणवी छात्रों को 20.89 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

4. भारत सरकार की राष्ट्रीय क्रृष्ण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 300 छात्रों को 2.41 लाख रुपये की क्रृष्ण छात्रवृत्तियां दी गई।

5. उच्च/लघुचतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 688 छात्रों को 15/- ₹० मासिक की दर से तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 2314 छात्रों को 10/- ₹० मासिक की दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की न्यवस्था की गई।

6. उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में 16/- ₹० प्रति मास की दर से वजीफे/छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को भिन्न-2 कक्षाओं कोसे में 30/- ₹० से 70/- ₹० मासिक दर से छात्रवृत्तियां तथा वजीफे दिए गए। इन वजीफों के लिए 97.54 लाख ₹० की व्यवस्था की गई।

मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों को भिन्न-2 कक्षाओं/कोर्सों के लिए 40/- रु० की दर से 200/- रु० की दर तक प्रति मास वज्रीफे इत्याव॑ भी दिए गए । यह वज्रीके छात्रवृत्तिया विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती है । रिपोर्टधीन अवधि में 38.11 लाख ६० लोग व्यवस्था की गई । अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति दी गई ।

संस्कृत/तेलगृ भाषा पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 10/- रु० प्रति गास की दर से छात्रवृत्तिया पदान की गई ।

(इ) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना ।

पिछले वर्षों की भाँति रिपोर्टधीन अवधि में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उचित मूल्य पर उपलब्ध करने हेतु विशेष यग उड़ाए गए । वर्ष 1978-80 में अनुसूचित जातियों तथा वन्चित वर्ग के विद्यार्थियों को क्रांति के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सरकार से 20.50 लाख रुपये की राशि की लघु पुस्तके स्थापित बुक बैकस को सुनहरे कराने के लिए खरीदी गई तथा 3 लाख रुपया की लखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्ग की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को मिश्रुलक वितरित की गई ।

(न) अन्य कार्यक्रम

केयर फीडिंग प्रोग्राम

गांधारन्ध्र भोजन का नाम रिपोर्टधीन अवधि में 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया । इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 33.49 लाख ६० केयर संगठन के प्रशासकीय तथा परिवहन वर्च के रूप में दी । घरौडा में स्थापित कन्द्रीय किषन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रति दिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भजी गई ।

३. अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान काप-

रिपोर्टधीन अवधि में विद्याप्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को

फिल्म भिन्न प्रकार की सहायता के रूप में इस कोष से 2.10 लाख रुपए की राशि वितरित की गई।

3. खल कूद एवं कियात्मक कार्यक्रमों में संपर्कियां—

अंतर राजकीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं में स्वर्ण पदक 3, रजत पदक 7 तथा कांस्य पदक 4 प्राप्त किए। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के सम्मुख रखते हुए रिपोर्टरीय अवधि में मिनी नेशनल गेम्ज में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

4. एनोएसोसी स्कीम के अत्यंत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु 110 शिविर लगाए गए जिनमें 6000 छात्रों ने भाग लिया।

5. हरिजन छात्रों के लिए विशेष मुविधा—

(क) 26233 छात्राओं को 30/- रु प्रति छात्र की दर से मुफ्त बदियां देने के लिए 787 लाख रुपए को राशि प्रदान की गई।

(ख) 12000 छात्राओं के लिए 50 रु प्रति छात्र की दर से उपस्थिति छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

6. कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार—

सामाजिक ऐसा होता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह यन्मति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा में अन्य-2 सेक्षन बना लें तथा उन सेक्षनों की इस तरह बनाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सेक्षन में आ जाएं तथा मंद बुद्धि के बच्चे दूसरे सेक्षन में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परीक्षा परिणाम को नेहते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमज़ोर सेक्षन पढ़ा था।

पहली से नींवी कक्षा में पढ़ने वालों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई जाए कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल म किया जाए तथा तीसरी तथा चौथी कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुगार कायेवाही की जाए।

रिपोर्टरीन अवधि में स्वामी अग्निवैश शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे तथा इसके पश्चात् मुख्यमन्त्री श्री भजन लाल ने शिक्षा विभाग अपने अधीन लिया।

रिपोर्टरीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे।डी।० गुप्ता, आई।ए।एस ने कार्य किया। संयुक्त सचिव के पद पर श्री मति सुशील डोगरा ने कार्य किया तथा निदेशक के पद पर श्री मति प्रोमिला ईस्सर आई।ए।एस।० ने कार्य किया।

प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1979-80 पर समालोचना

रिपोर्टींशीन अवधि में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राइमरी, मिडल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर स्थानों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा की सुविधाओं में भी विस्तार करने के लिये 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया है। माध्यान्ह भोजन का नाभ 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया।

अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा स्तर को उन्नत करने के लिये 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 सैकेण्डरी अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों में सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया।

भवनों की मुरम्मत/निर्माण के लिये बजट में 45 लाख रुपये की व्यवस्था की है तथा इतारी ही राशि 'मैचिंग ग्रॉट' के रूप में स्कूल फण्ड में से दी जायेगी। विभाग द्वारा स्कूलों के 190 कक्ष बनाने के लिये 78.55 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई।

पौड़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। खेतों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णपदक 3, रजत पदक 7, तथा कांस्य पदक 4 पाए किये।

अध्याय-एक

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रणासकीय रिपोर्ट वर्ष 1979-80 के शिक्षा गतिविधियों से सांबंधित है।

1.2 सितम्बर 1979 में हरियाणा में स्थित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :

संस्था का प्रकार	संस्था की संख्या		छात्रों की संख्या	
	लड़के	लड़कियों	जोड़	
पूर्व प्राथमिक पाठ्यालय	26	672	543	1215
प्राथमिक पाठ्यालय	5218	446570	228302	674872
माध्यमिक पाठ्यालय	829	312579	91994	304573
उच्च/उच्चस्तर माध्यमिक पाठ्यालय	1339	561846	208885	770731
शारीरिक शिक्षा				
महाविद्यालय	1	84	10	94
महाविद्यालय	117	53752	24623	78375
विश्वविद्यालय	2	2991	1094	4040

स्तर अनुसार छात्र संख्या

1.3 राज्य में सितम्बर 1979 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी।

शिक्षा का स्तर	छात्रों की संख्या		
स्कूल स्तर	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
प्राथमिक स्तर			
(पहली से पांचवीं)	7,84,282	3,82,333	11,66,615
माध्यमिक स्तर			
(छठी से आठवीं)	3,19,960	1,10,378	4,30,338
उच्च , उच्चतर माध्यमिक			
(नौवीं से ए्यारहवीं)	1,17,420	35,176	1,52,596
कल संख्या	12,21,662	5,27,887	17,49,549

उच्च शिक्षा स्तर

प्री-युनिवर्सिटी	18851	6001	24,852
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	31516	13514	45030
एम ० ए०/एम एम नी/एमकाम	2478	1390	3868
बी ० ए०/एम ० ए०	1261	2280	3541
भी. ए० डी/एम फिल	390	205	595
अन्य	2247	2282	4529
जोड़	56743	25672	82415

शिक्षकों की संख्या

१.४ हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्कूल अनुसार इस प्रकार रही ।

(क) स्कूल स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
प्री-प्राइमरी स्कूल	9	44	53
प्राथमिक स्कूल	11502	5370	16872
पाठ्यमिक स्कूल	6625	2919	9544
उच्च/उच्चस्तर माध्यमिक			
स्कूल	19541	8602	28143
जोड़	37677	16935	54612
इन अध्यापकों में से 4957 अद्याक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं ।			
(ब) उच्च शिक्षा स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	715	212	927
अराजकीय महाविद्यालय	1562	537	2099
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	2	2	4
विश्वविद्यालय	312	31	343
जोड़	2591	782	3373

शिक्षा का व्यय

1.5 शिक्षा विभाग का वर्ष 1979-80 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था।

(क) प्रत्यक्ष व्यय	(राशि लाखों रुपयों में)		
वर्ष	गोजनेतर	योजना	कुल
उच्च शिक्षा			
कालेज शिक्षा	545.25	28.20	573.45
माध्यमिक	1887.62	89.73	1977.35
प्राथमिक विशेष शिक्षा (स्वीकार)	1865.05	126.63	1991.68
एन० सी० सी०	21.38	45.42	66.80
विविध	61.54	27.02	88.56
जोड़	24.37	2.50	26.87
	4405.21	319.50	4724.71
(ख) परोक्ष व्यय			
1. निर्देशन	43.54	3.74	47.28
2. इंसर्पेक्शन	109.33	3.60	112.93
जोड़	152.87	7.34	160.21
जोड़ प्रत्यक्ष			
तथा परोक्ष	4558.08	326.84	4884.92

महाविद्यालय शिक्षा

1.6 इस वर्ष कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। परन्तु सरकार द्वारा 10 अराजकीय महाविद्यालयों को अपने नियन्त्रण में लिधा गया।

जिला स्तर पर प्रशासन

1.7 राज्य के सभी 12 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्याधीन करते हैं।

भाषाई अवृत्ति संस्कृतकों की सुविधाये

1.8 हृषिक्षण राज्य में भाषाई अन्य संस्कृतकों को राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा जारी रखी गई यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक बच्चे अपनी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए उम्र भाषा को पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

नये स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का बढ़ना

1.9 इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेन्ना खेड़ा (सिरसा) में खोला गया। इस के अतिरिक्त 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

1.10 यह वर्ष का भाँति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्त्रों को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्त्रों उपलब्ध करने के लिए राज्य महाविद्यालय, विद्यालयों एवं बिहव विद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट के सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई गमी वस्तुएँ उपलब्ध होती रहें।

छात्रों को पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करवाना

वर्ष 1979-80 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करवाने हेतु 7142 बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिये 20.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस के अतिरिक्त 3 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्गों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली बड़कियों को निशुल्क वितरित की गई।

हरिजन छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं

प्राथमिक स्कूलों में हरिजन छात्राओं के लिए निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की गई:—

(क) 26233 छात्राओं को 30/-रुपये प्रति छात्र की दर से मुफ्त विद्यां चने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) 12000 छात्राओं के लिए 50/- रुपये प्रति छात्रा की दर से उपस्थित सालवृति के लिए 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

अध्याय दो

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1979-80 में कुछ समय के लिए स्वामि अग्निवेश शिक्षा मंत्री के पद पर रहे तथा इसके पश्चात मुख्य मंत्री श्री भजन लाल ने शिक्षा विभाग अपने अधीन ले लिया ।

“क” सचिवालय स्तर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे।डी।० गुप्ता ने कार्य किया । संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती सुशीला डोमरा ने कार्य किया । उपरोक्त सभी अधिकारी आई०ए०ए०स केडर के हैं । अबर सचिव के पद पर श्री के० जी० वालिया पाच०ए०ए०स० ने कार्य किया ।

“ख” निदेशालय स्तर

रिपोर्टाधीन वर्ष में कुछ समय के लिए श्री ओ० पी० भारद्वाज आई०ए०ए०स० ने निदेशक के पद पर कार्य किया । 5-7-79 को श्रीमती प्रमीला ईस्सर आई०ए०ए०स० ने निदेशक का पद ग्रहण किया ।

पिछले वर्षों से शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा प्रशासनिक सुविधा को ब्याग में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को फेझड प्रोग्राम में अलग अलग करने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसार अतिरिक्त निदेशक के पद को निदेशक (स्कूल) का पद बना दिया गया तथा इस पर कुछ समय के लिए श्री अनिल राजदान आई०ए०ए०स० तथा 3-7-79 से श्री अर्जुनदास मनिक ने कार्य किया । इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को यूचाह रूप से चलाने के लिए निश्चिक शिक्षा विभाग तथा निदेशक स्कूल शिक्षा को सहयोग दिया:-

1. निदेशक रिसोस केन्द्र एच०ई०एस०
2. संयुक्त निदेशक महाविद्यालय -सम-
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा एच०सी०एस०
4. संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा एच०ई०एस०
5. उप निदेशक महाविद्यालय -सम-
6. 1. उग-निदेशक विद्यालय -सम-
7. 2. उप-निदेशक विद्यालय-II -सम-
8. उप-निदेशक विद्यालय-III -सम-
9. उप-निदेशक योजना -सम-
10. उप-निदेशक प्रौढ़ शिक्षा -सम-
11. अध्यक्ष अनोपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा एच०ई०एस०
12. प्रशासन अधिकारी एच०सी०एस०
13. महायक निदेशक महाविद्यालय एच०ई०एस०
14. सम-- विद्यालय-I -सम-
15. सम-- विद्यालय-II -सम-
16. सम-- विद्यालय-III -सम-
17. सम-- अध्यापक प्रशिक्षण -सम-
18. सम-- परीक्षा -सम-
19. सम-- एन.सी.सी. -सम
20. सम-- अँकड़ा -सम
21. महायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा-I
22. सम-- प्रौढ़ शिक्षा II
23. लेखा अधिकारी विद्यालय
24. लेखा अधिकारी कालेज
25. रजिस्ट्रार शिक्षा
26. बजट अधिकारी

जिला प्रशासन

2.2 राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास पशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिनमें शिक्षा अधिकारी पर है। जिनमें शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यकृत देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को गुचारू रूप में चलाने के लिए गभी उठ मण्डलों में उठ मण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उठ मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उठ मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिनमें शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में सक्षमता देने के लिए जिला स्तर पर एक-एक महावक्र मार्ग दर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों के बारे में मार्ग दर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को मिन्ट-2 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास प्रशासन और नियन्त्रण के लिए जिनमें प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त है।

3.1-3-80 की स्थिति अनुसार निर्देशान्वय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का व्यौद्ध परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। ऐसी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पर्वों की सूचि परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

बच्चे स्तर पर

2.3 राज्य में स्थित सभी 5218 प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा ब्लॉडों में वांटा गया है। ब्लॉड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुनारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

राजकीय विद्यालय

2.4 सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर भाष्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानानायं अपने अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालय

2.5 अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग के मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का नियंत्रण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

2.6 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष हृषि में सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निवेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों ही चलाती है। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा निति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनकी वित्तीय महायता साधारण तथा विकास अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

अध्याय तीन

विद्यालय शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास और इसकी समृद्धि शिक्षा के विकास पर ही निर्भर करती है। देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

3.2 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अधिभान चलाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 26233 हरिजन छात्राओं को 30/- रुपये प्रति छात्र की दर से 7,87 लाख रुपये की राशि के मुफ्त वादियों प्रदान की गई तथा 12000 हरिजन छात्राओं को 50/- रुपये प्रति छात्र की दर से 6 लाख रुपये की राशि उपर्युक्त छात्रवृत्ति के रूप में दी गई।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

3.3 रिपोर्टरीज वर्ष में शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1979-80 में 189 प्राथमिक स्कूलों के मन्त्र को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों को बढ़ा कर उच्च रैंक किया गया जिन में से क्रमशः 7 तथा 11 स्कूल केवल कन्याओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त एक राजकीय प्राथमिक पाठ्याला मेनाखेड़ा (मिरसा) में खोला गया।

1.9:79 को हरियाणा में गैर सरकारी तथा सरकारी विद्यालयों की मंड़ा

निम्नलिखित थी :-

क्रम संख्या	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़
1. पूर्व प्राथमिक	7	19	26
2. प्राथमिक विद्यालय	5130	88	5218
3. माध्यमिक विद्यालय	803	26	829
4. उच्च/उच्चर माध्यमिक विद्यालय	1104	235	1339

प्राईट स्कूलों को मान्यता प्रदान करना

3.4 निम्नलिखित स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई है।

- 1 सैनी हाई स्कूल, नारनेल
- 2 गुहरूल कन्या उच्च विद्यालय, बुढ़िया (अम्बाला)
- 3 राम मन्दिर कन्या उच्च विद्यालय, (सौनीगत)
- 4 श्री गोस्वामी चन्द्रगिरि कन्या हाई स्कूल, भिवानी
- 5 श्रीम प्रकाश जैनगिरि भाड़ल स्कूल, कैथल
- 6 कन्या गुम्कुल उच्च विद्यालय, घरल (जीन्द)

इस अतिरिक्त आर्य हाई स्कूल पटेल नगर हिसार को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

बालवाड़ियों की स्थापना

3.5 समाज के विठ्ठे एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिकों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य मेरिपोर्टरीजीन अवधि में 5 बालवाड़ियां कुशेत्र जिले में तथा 5 बालवाड़ियां तिरसा जिले में खोली गई। इस प्रकार स बालवाड़ियों की कुल

सम्भावना २० हो गई है। बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कल्याणी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों के माध्यम से नरसरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलग्न हैं। इन श्रेणियों में भी ३ से ८ वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छात्र संख्या

3.6 वर्ष 1979-80 में स्कूलों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही है।

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	784282	382333	1166615
माध्यमिक स्तर	349960	110378	430338
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	117420	35176	152596

प्रधापक

3.7 वर्ष 1979-80 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

मूल्याधारक	156
मास्टर/मिस्ट्रेस	753
पी०टी०आई०	156
सी० एन्ड बी०	280
जे०बी०टी०	474
लिपिक वर्ग	156
वन्दुर्य श्रेणी	511

माध्यमिक कक्षाओं में छात्र संख्या बढ़ने के कारण 150 मास्टर तथा 275 बोर्डीटी० अध्यापकों के पद भी दिए गये ।

वर्ष 1979-80 में हरियाणा राज्य के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है :—

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलायें	जोड़
श्री-प्राईमरी स्कूल	9	44	53
प्राथमिक स्कूल	11,502	5,370	16,872
माध्यमिक स्कूल	6,625	2,919	9,544
उच्च/उच्चतर स्कूल	19,541	8,602	28,143
जोड़	37,677	16,935	54,612

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 698 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 49635 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात

3.1 रिपोर्टार्डीन अवधि में स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :—

स्कूल अनुसार	स्तर अनुसार
प्राथमिक स्कूल (1-5) 140	प्राथमिक स्तर (1-5) 139
माध्यमिक स्कूल (1-8) 132	माध्यमिक स्तर (6-8) 132
उच्च/उच्चतर	उच्च/उच्चतर (9-11) 114
माध्यमिक स्कूल (1-11) 127	माध्यमिक स्तर

दोहरी पारी प्रणाली

3.9 भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवनों में छात्रसंख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठबे के लिए स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली आनन्द की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है।

सह शिक्षा की नीति

3.10 ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं वहाँ लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5218 प्रार्थामिक विद्यालयों में से 261 राजकीय और 10 अराजकीय प्रार्थमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिए हैं। जोष सभी विद्यालयों में सह शिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा

3.11 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। -वर्ष 1979-80 में इस प्रयोजन के लिए 312 छात्र-वृत्तियों के लिए 37,440/- रुपये की व्यवस्था की गई।

भाषा नीति तथा भाषाई ग्रन्ति संघर्षक

3.12 हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्चतया उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

3.13 विद्यालयों में अप्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है, तीसरी भाषा में पंजाबी संस्कृत तथा ऊदू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी ऊदू संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

3.14 हरियाणा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष मुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमीक या माध्यमिक विद्यालय को किसी कक्षा में 10 या कुल 40 से आधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको इप विषय में शिक्षा देने के लिए मुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी या पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रही है।

3.15 भाषा अल्प संख्यकों को विशेष मुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

शिक्षा पद्धति 10 जमा 2 जमा 3 को लागू करना

3.16 शिक्षा का नया वीक्षणिक ढांचा अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया गया है। यह ढांचा अभी सरकार के विचाराधीन है। इस ढांचे को लागू करने के लिए माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं को मुद्युड़ करने हेतु वर्ष 1977-78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्थीकृति चली आ रही है। इस नई पद्धति के लिए व्यवसायिक संरक्षण का कार्य अभी जिलों में समाप्त हो चुका है। इस की रिपोर्ट प्र०८०८ी०५०आर०८ी० गुडगोवा में तैयार की जा रही है।

परीक्षा परीणाम

3.17 आठवीं, दसवीं, तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की व्यापना की हुई है। वर्ष 1979-80 में आठवीं कक्षा में 125013 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें 51.97 प्रतिशत पास प्राप्ति हुए तथा 19160 विद्यार्थी पाइवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें 38.83 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 67351 विद्यार्थी निर्गमित तौर पर बैठे जिनमें

से 6034 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 18455 विद्यार्थी प्राइवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 25.03 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परीणाम 41.16 पास प्राप्ति रहा।

अराजकीय विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में

3.18 निम्न स्कूलों को सरकार ने ग्रापने अधीन ले लिया :—

1. गांधी मैमोरियल हाई स्कूल नारायण (करनाल)
2. ए० एन० हाई स्कूल गोहाना (सोनीपत्त)

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

3.19 पूर्व वर्षों की भाँति वर्ष 1979-80 में भी अराजकीय विद्यालयों के निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :—

प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	लाख रुपयों में
-----------------------------------	-----------------------

4.60

उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	11.19
--------------------------------------	--------------

स्थानीय विकास कैट बोर्ड प्राइमरी	.20
---	------------

संस्कृत विद्यालय गुरुकुल	1.59
---------------------------------	-------------

हरियाणा सकेत कौसिन नगड़ीमन्दिर	68
---------------------------------------	-----------

हरियाणा वैलफ्रेंचर सोसाइटी फार डैफ पाण्ड डाब	.90
---	------------

चण्डीगढ़ को गुरुगांव केन्द्र के लिए	—
--	----------

गांधी इस्टीन्यूट आफ स्टडीज वाराणसी	—
---	----------

अपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत 10 राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदार के लिए 500/- रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/-रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

अराजकीय प्रीधमिक/माध्यमिक विद्यालयों को उनके धाट का 20 प्रतिशत तथा अराजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को धाटे की 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भी दी गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्टधीन अवधी में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्राट स्कीम के अन्तर्गत 59.25 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

ग्रन्थालय चौथा

महाविद्यालय शिक्षा

महाविद्यालयों की संख्या

रिपोर्टर्डीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 117 थी जिस में 19 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य सरकार द्वारा	प्राइवेट बाड़ीज	विश्वविद्यालयों द्वारा	जोड़
16	98	3	117

गंर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेना

4.2 वर्ष 1979-80 में निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख लिखी तिथि से राज्य सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिया गया।

1. के० एन० कालेज नरवाना	1-8-1979
2. डी० एस० डी० कालेज गुडगांव	14-1-1980
3. नैशनल कालेज टोहाना	14-1-1980
4. आर्दश कालेज सकीदों	14-1-1980
5. जन्ता कालेज बावल	14-1-1980
6. एम० जी० कालेज दुबलधन	14-1-1980
7. जी० बी० महाविद्यालय नहर	14-1-1980
8. बी० एम० कालेज होडल	20-2-1980
9. नेहरू मैमोरियल कालेज हांसी	15-2-1980
10. मेशत कालेज नगीका	15-2-1980

राजकीय महाविद्यालय में नये विषयों/कक्षाओं को चालू करना ।—

4.3 वर्ष 1979-80 में राजकीय महाविद्यालय सिरसा में निम्नलिखित विषय कक्षाएं चालू की गईं ।

1. पनो विज्ञान प्रैण-॥
2. मैट्रिकल प्रैण तथा बी० एस० सी०-॥
3. भूगोल प्रैण बी० ए०-॥ तथा बी० ए०-॥
4. इतिहास प्रैण बी० ए०-॥ तथा बी० ए०-॥
5. संस्कृत इलैक्ट्रीच बी० ए० I, II, III

प्राराजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

राज्य के प्राराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1979-80 में भिन्न 2 योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान विधे गये :—

1.	य० जी० सी० योजना (1-11-66)	15.91 लाख रुपये
2.	ब० जी० सी० योजना (1-11-73)	43.25 लाख रुपये
3.	अनुरक्षण अनुदान	60.97 लाख रुपये
4.	विकास अनुदान	45.15 लाख रुपये
5.	साश्ल अनुरक्षण अनुदान	1.29 लाख रुपये
6.	तदर्थ अनुदान	15.94 लाख रुपये
7.	डॉ० पी० अतिरिक्त अनुदान	.09- सम- -
8.	फटकर अनुदान	30- सम- -
9.	मैचिंग प्राप्त	.57- -सम- -

4.6 विश्व विद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्यों के लिए वर्ष 1979-80 में 420.24 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप के स्वीकृत की गई जिसका ब्यौगा इस प्रकार से है :—

क.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र	135.24	लाख रुपये
ख.	महाराष्ट्र द्यानन्द विश्वविद्यालय रोहतक	285.00	लाख रुपये
	जोड़	420.24	लाख रुपये

राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवनों/छात्रावासों का निमाण

4.7 रिपोर्टरीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय हिसार के गलर्ज हाउस्टन के लिए 12.05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई तथा इसी महाविद्यालय के लिए साईकिल शैड के निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

छात्र संख्या

4.8 रिपोर्टरीन वर्ष में राज्य में 82415 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संख्यानुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

संस्था का स्तर	छात्र संख्या		
लड़के	लड़कियां	जोड़	
1. राजकीय महाविद्यालय	15628	4049	19677
2. अराजकीय महाविद्यालय	38124	20574	58698
3. विश्वविद्यालय	2,991	10.49	4040
जोड़	56,743	25,672	82,415

अध्याय पांचवाँ

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 शिक्षा का स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इस अनुसंधान तथा प्रयोगों से भलीभांति परिवर्त होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षकों को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1. सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण

2. सेवा कालीन प्रशिक्षण

5.2 सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1979-80 में मित्त-2 वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्न-लिखित पाठ्य क्रम को सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

5.3 एम०एड० कक्षाएँ

राज्य में एम०एड० की कक्षाएँ केवल मोहनलाल शिक्षण महाविद्यालय अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रहीं। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1979-80 में 37 लड़के तथा 37 लड़कियाँ ने प्रवैश प्राप्त किया।

5.4 बी०एड० कक्षाएँ

वर्ष 1979-80 में बी०एड० प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएँ राज्य में 19 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रहीं। राव भोहर मिल शिक्षण महाविद्यालय बद्रुरशमपुर वर्ष 1979-80 में स्वयं ही बन्द रहा। इन गभी महाविद्यालयों में 1224 लड़कों एवं 2213 लड़कियों ने बी०एड० की कक्षाओं में प्रवैश प्राप्त किया।

५.५ ओ० टी० प्रशिक्षण कक्षायें

रिपोर्टरीयन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी संस्कृत तथा पंजाबी की ओ० टी० कक्षायें खोलने की अनुमति दी गई।

1. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी हिन्दी तथा संस्कृत ओ० टी० की ६०-६० सीटें।

2. राजकीय जै० बी० टी० स्कूल नारायणगढ़ ओ० टी० पंजाबी की ४० सीटें।

५.६ जै० बी० टी०/नर्सरी दीचल् ट्रेनिंग

रिपोर्टरीय वर्ष में इन दोनों कोर्सों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

५.७ सेवा कालीन प्रशिक्षण

गत वर्षों की भाँति वर्ष १९७९-८० में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यात्मकी के लिए निम्नलिखित सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)	जितने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
१ शिक्षा अधिकारी	५	५०
२ मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्य	५	1000
३ बड़ शिक्षा अधिकारी	५	117
४ माध्यमिक अध्यापक	२०	1200
५ प्राथमिक अध्यापक	१६	4100

अध्याय-6

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

6.1 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 से बड़े वैपाले पर आरम्भ किया गया। इस से पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं ममाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जाता रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 में कुल 3300 केन्द्र जिल में 2200 केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 1100 राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों की अन्तर्गत खोले जाने की व्यवस्था की गई थी परन्तु इनमें से कमशः 3005 तथा 851 केन्द्र ही खोले गये। रिपोर्टरीज वर्ष में 200 अतिरिक्त केन्द्र केन्द्रीय संचालित प्राप्ताम के अन्तर्गत खोलने की स्वीकृति वी गई। इस प्रकार इस वर्षे स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 3500 ही गई। इनमें से 31 मार्च 1980 को 3302 केन्द्रों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। इन 3302 केन्द्रों में 2259 केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत तथा 1043 राज्य सरकार के विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत खोले गये थे। इन 3302 केन्द्रों में से पुरुष तथा महिला केन्द्रों की संख्या इस प्रकार रही।

केन्द्रों की संख्या

पुरुष	महिला	कुल
1418	1884	3302

6.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

रिपोर्टरीज वर्ष में 72693 प्रौढ़ों ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा धन्त-2 परियोजनाओं के अन्तर्गत चलाये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता का लाभ प्राप्त किया। साक्षरता का लाभ प्राप्त करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या तथा महिलाओं का प्रतिशत अनुपात निम्न प्रकार से

है :—

क्र. ०	परियोजना	प्रौढ़ की संख्या		महिलाओं की प्रतिशत	
		प्रौढ़ों की संख्या		कुल	संख्या
		पुरुष	महिला		
१.	केन्द्रीय संचालित योजना	25385	25485	50870	50 प्रतिशत
२.	राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ।	7494	14329	21823	65. 6 प्रतिशत
		32879	39814	72693	54. 8 प्रतिशत

नक्त दण्डि गई 72693 प्रौढ़ों में अनुमूलिक जाति से सम्बन्धित साक्षरता प्राप्त पुरुष तथा महिलाओं की संख्या इन केन्द्रों में निम्नलिखित रही :—

क्र. ०	स्कीम का नाम	लाभार्थियों की संख्या		महिलाओं की प्रतिशत	
		पुरुष	महिला	कुल	संख्या
१	केन्द्रीय संचालित योजना	6038	5840	11878	49. 2 प्रतिशत
२	राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ	1704	2901	4605	63. 0 प्रतिशत
		7742	8741	16483	53 प्रतिशत

इस प्रकार रिपोर्टधीन अवधि में साक्षरता का लाभ प्राप्त करने वाले कुल प्रौढ़ स्थियों तथा पुरुओं में अनुमूलिक जाति से सम्बन्धित प्रौढ़ों की संख्या 22. 66 प्रतिशत रही ॥

6.3 जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायक्रमों की अधिकता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाये गये हैं। इस के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को और मुदृढ़ बनाने तथा कार्यक्रम में और विकास करने के लिए जिला स्तर पर जिला संसाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

6.4 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है। सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त दो स्वैच्छिक संस्थाएं करनाल और गुडगांव में वी नेहरू युवक केन्द्र तथा ५ महाविद्यालयों के द्वारा भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन्हें भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया गया।

6.5 संसाधन केन्द्र की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बद्धि साहित्यिक सामग्री तैयार करने/उत्पाद्ध करने के लिए जून 1979 में राज्य समाधन केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित अपलोड सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया:—

1. निवेशक ट्रेट रिसोस मैटर	1
2. अनुसंधान अधिकारी	4
3. तकनीकी सहायक	1
4. आर्टिस्ट	1
5. उप-अधीक्षक	1
6. सहायक	3
7. सैनोप्राक्टर	1

8. स्टैनोटार्डिप्रिस्ट	2
9. लिपिक	2
10. मुख्य सहायक	4

संसाधन केन्द्र के कार्य को चलाने के लिए निदेशक तथा एक तकनीकी सहायक का पद भरा है। वर्ष 1979-80 के इस केन्द्र के भिन्न-2 कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा 363800/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई परन्तु सभी पदों के समय पर न भरने के कारण रिपोर्टधीन अवधि में केवल 14893/- रुपये की राशि ही खर्च हुई।

6.6. संसाधन केन्द्र की स्थापना करने समय निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :—

1. प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा में संवर्नित गांव/ब्लॉड/जिला तथा राज्य स्तर पर फक्शनरीज़ को प्रशिक्षण देना।

2. 9-17 आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक सामग्री तथा साहित्य तैयार करना।

3. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा 9-17 आयु वर्ग के कार्यक्रमों का मुख्यालय तथा मोनोटरिंग करना।

4. प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार/मास मिडिया।

6.7. रिपोर्टधीन अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण कोर्स प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में संवर्नित फक्शनरीज़ के लिए आयोजित किये गये :—

1. प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों/प्रौढ़ैक्ट अधिकारियों तथा सहायता प्रौजैक्ट अधिकारियों को 22.10.79 से 28.10.79 तक की अवधि के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एमोर्शनेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।

2. अक्टूबर 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के निरीक्षण अधिकारियों तथा अनुदेशकों के लिए क्रमशः 15/7 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रकार 7 दिन का प्रशिक्षण कोर्स अनुदेशकों के लिए मार्च, 1980 में भी आयोजित किया गया। इन आयोजित प्रशिक्षण कोर्स में 3270 अनुदेशकों तथा 107 प्रौढ़ शिक्षा के निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

3. प्रशिक्षण कर्मचारियों और अनुदेशकों के लिए दो ग्रुपों में डेरी फार्मिंग पर वी प्रशिक्षण कोर्स राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान करनाल की सहायता से आयोजित किए गए।

6.8 साहित्य तैयार करना

1. रिपोर्टधीन अवधि में “कहो कुछ बात” नामक (एन० सी० ई० आर० टी०) द्वारा तैयार की गई पुस्तिका हरियाणा राज्य में अपनाई गई और इस का मुद्रण करवाया गया। इसी प्रकार प्राईमरी तथा वर्क बुक की 2-2 लाख प्रतियाँ भी छपवाई गई। (इस के अतिरिक्त अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक निदेशिका की 10 हजार प्रतियाँ भी छपवाई जा रही हैं।

(2) शहरी जनसभ्या के लिए साहित्य

हरियाणा के ग्रोमोगिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए पुस्तकों का एक सैट एन० सी० ई० आर० टी० नई विल्ली की सहायता से तैयार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए फरीदाबाद, अमृताला, भिवानी में दो-दो विनों की तीन वर्कशार्फों पहले ही आयोजित को जा चुकी हैं।

(3) अनौपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षणार्थियों के लिए साहित्य 19-17

अनौपचारिक शिक्षा 19-17 के अनुदेशकों के लिए एन० सी० ई० आर० टी० नई विल्ली की सहायता से पुस्तकों का सैट तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में रोहतक में दो विनों का समीनार आयोजित किया गया।

6.9 मूल्यांकन तथा मोनीटोरिंग

प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में 10 मास की शिक्षा के अन्त में प्राप्ति के

मूल्यांकन हेतु संसाधन केन्द्र द्वारा कई प्रकार के साक्षरता मूल्यांकन टैस्ट तैयार किए गए। इस के आधारित कई प्रकार के मोनीटरिंग से सम्बन्धित प्रपत्र भी तैयार किए गए। इस कार्य के लिए सलाहकार शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय (प्रीढ़ शिक्षा निवेशालय) नई दिल्ली, भारत सरकार (प्रीढ़ शिक्षा) ने राज्य संसाधन केन्द्र निदंशक की सराहना भी की है।

6.10 अनौपचारिक शिक्षा

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3345 प्राथमिक और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें चालू वर्ष में 2916 प्राथमिक और 78 माध्यमिक स्तर के चल रहे थे जिनमें लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:—

अनुसूचित जाति

लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
प्राथमिक कक्षा	30727	39439	70166	9574	9410
माध्यमिक कक्षा	975	305	1280	227	32
					259

अध्याय सातवां

महिला शिक्षा

7.1 हरियाणा में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की हुई हैं। वह सुविधायें रिवोर्डीन अवधि में और भी अधिक दी गईं।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को नि शुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर साधारण कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अवेक्षा ट्यूशन फीम कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी लड़ी से ग्यारहवीं कक्षा तक पहने वाली कक्षाओं की फीम की दर लड़कों की अंक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओं की नौवीं वर्षीय तथा ग्राहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रु. की दर से गोपयता छावनीयों देने की आवस्था है। यह छावनीयों आठवीं कक्षा के वार्षिक परिक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अरु प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और स्कीम के अधीन 150 हरिजन कन्याएँ लाभावित होती हैं।

(ग) वर्ष 1979-80 में प्राधिक स्कूलों में हरिजन छात्राओं को 30/- रुपए प्रति छात्रा की दर से ₹ 8.7 लाख रुपए की राशि की मुफ्त विद्यालय प्रदान की गई तथा 12000/- हरिजन छात्राओं को 50/- रुपए प्रति छात्रा की दर से उपस्थिति छावनीयों के लिए 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

(घ) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्थियों के लिए जेठी ०टी ०/एल ०टी ०सी ०/नर्सरी प्रणिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। एसी महिलाओं को अधिकतम आय में साधारण ढील दे दी जानी है। यह विवाह 31 वर्षों की आय तक प्रवेश प्राप्त कर सकती है जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिल्टी पुरुषों की पतियों द्वा-

उनके आधिकारों को जो आव्योग्य हो गए हों या लड़ते-2 मारे गए हों, प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(इ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाए ताकि आधिक से अधिक छात्राये स्कूलों की ओर आकर्षित हों। यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाए तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाए। इस तहर की अध्यापिकाये अस्थाई होंगी।

7.2 कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या 31-3-80 के अनुसार

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	जोड़
प्राथमिक विद्यालय	261	10	271
माध्यमिक विद्यालय	71	7	78
उच्च विद्यालय	149	83	232
उच्चतर माध्यमिक	20	2	22
महाविद्यालय	1	25	26

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इस का कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं :—

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिए प्रयत्न कर दें।
3. यदि 30 या 40 कन्याएँ विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों।
4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिए अलग प्राध्यामिक द्वारा विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या प्रयाप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो ।

छात्रवृत्तियाँ 7 3

राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ केवल लड़कियों को इस लिए स्वीकृत की जाती हैं ताकि गरीब घरानों की कन्याएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अनुसूचित तथा पिछड़े बर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय स्तर तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है । जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 6000/- रुपये से कम हो ।

वर्ष 1979-80 में कन्याओं को भी दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार :-

छात्रवृत्ति का नाम स्कूल स्तर	छात्रवृत्तियों की संख्या केवल लड़कियों के लिए	मासिक वर्ष
1 माध्यमिक स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति	628	10/- रुपये
2 उच्च विद्यालय स्तर की योग्यता छात्रवृत्ति	836	15/- रुपये
राज्य योग्यता छात्रवृत्ति		
उच्च/उच्चतर माध्यमिक	47	22/- रुपये
प्रैय	126	45/- रुपये
हायर सेकांडरी पार्ट-II	22	45/- रुपये
स्कूल स्तर		
हरिजन छात्रों के लिए		
योग्यता छात्रवृत्तियाँ		
नौवीं	50	20/- रुपये
दसवीं	50	25/- रुपये
ग्राहरवी	50	30/- रुपये

7.4 विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

शिक्षा का स्तर	छात्राएँ
प्राथमिक स्तर	382333
माध्यमिक स्तर	110378
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	35176
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	25672
जोड़	5,53,559

अध्याय आठवां

“शिक्षा सुधार कार्यक्रम”

8.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को सम्मुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा रिपोर्टशीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापक को नवीनतम प्रशिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समग्र समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1979-80 में 4100 प्राथमिक अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया। 1200 स्थानक अध्यापकों, 1117 खण्ड शिक्षा अधिकारियों, 1000 हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों के मुखियों तथा 50 शिक्षा अधिकारियों को भी सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के लिए 3.14 लाख रु. की व्यवस्था की गई।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा ‘प्राथमिक अध्यापक’ नाम मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। वह पत्रिका राज्य के नगरभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापक प्रति मास संग्रह की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित गामग्री पर विवार-विमर्श करते हैं, जिस से बच्चों का रोचक तथा सुन्दर ढंग में शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

शास्त्र संग्रह

8.2 स्थानिक फ़िरोज रये शास्त्र संग्रह केन्द्री में अयोजित पार्मिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा प्रबन्धी अध्यापक समस्ताओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी,

उग्र माडल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-मुमण पर भाग लेते हैं। चालू तर्थे में शाला संगम कार्यक्रम के लिए २.९३ लाख रु। की गणि की व्यवस्था की गई।

कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

8.3 सामान्यतया ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तोत्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि बदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्षण बना नैं तथा इन सैक्षणों को इस तरह बनायें कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्षण में आ जायें तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्षण में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हो उनके परिणाम को देखते समय इसबात का ध्यान रखा जाये कि वह कमज़ोर सैक्षण पढ़ा हो या।

पहली व चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तांसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

कार्य अनुभव

8.4 कार्य अनुभव शिक्षा का महत्वर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वह विषय अनिवार्य घोषित किया जा चुका है तथा नये शैक्षक छांति १० जमा २ जमा ३ के अन्तर्गत भी कार्यनुभव एक अनिवार्य विषय है। इस प्रयोजन के लिए राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के लिए वर्ष १९७९-८० में ७,०७,४६० रुपये की राशि की व्यवस्था करवाई गई थी परन्तु वर्ष १९७९-८० में १० जमा २ जमा ३ पढ़ति लागू न होने के कारण यह राशि प्रयोग में नहीं दाई जा सकी। अध्यापकों को कार्यनुभाव में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में तीन कार्य-नुभव केन्द्र नारनील नीलोखोड़ी तथा गुडगांव में कार्यरत हैं।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक मुविद्याओं का उपलब्ध करना

टिरोटाईन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भाँति क मुविद्याओं

को उपलब्ध करने के लिए विशेष पार्ष उठाये गये।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की नियमित अकड़ी नहीं है। अतः शिक्षा विभाग ने स्कूल भवनों के लिए एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस के लिए बजट में 45 लाख 60 की व्यवस्था की गई है तथा इतनी ही राशि मैचिंग प्रान्ट के स्पष्ट में स्कूल भवन काड में से दी जायेगी जो विभाग के पास प्रयोग रहत है। रिपोर्टरीन अवधि में इस में से 20 लाख 60 लोक नियमित विभाग को छोटे नियमित कार्यों के लिए दिये गये।

शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गए भवन नये विधि नियम (बिल्डिंग फन्डस्टर्ट) राजकीय रकूलों में भवन काड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा काष में (मर्नी पूँछ) में जमा करवाना पड़ता है। इस विधि में 61.06 लाख 60 31-3-80 तक एकत्रित हो चुके हैं। इनमें से 7 लाख रुपये कार्यकारी विधि के रूप में लोक नियमित विभाग के (बी एच आर) सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को दिये जा चुके हैं यह राशि स्कूल भवनों के नवीन करण तथा मुरम्मत के 394 अनुमानों के लिए 1.68 करोड़ 60 की स्वीकृत राशि का भाग है।

रिपोर्टरीन अवधि में विभाग ने स्कूलों के नव नियमित के अन्तर्गत राजकीय कन्धा उच्च विद्यालय पेहवा, रा०उ०वि०होड़, तथा रा०प्रा०पा०० यमुनानगर तथा जगाधीरी के भवनों के नियमित के लिए प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त रा०उ०मा०वि०हांसी के भवन की मुरम्मत तथा नवीनकरण का भी प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया। विभाग द्वारा 49.75 लाख रुपये के व्यय पर विभिन्न प्राथमिक स्कूलों के लिए 130 कक्ष तथा 28.80 लाख 60 के व्यय पर रा०उ०/उच्चतर मा०वि० के लिए 60 कक्ष बनाने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया। विभाग ने शहरी क्षेत्र के स्कूलों के लिए किशोरों पर लिये सभी भवनों को अपने अर्द्धान नेमे की योजना बनाई है। यिवानी में सभी (12) किराये पर लिये गये भवन दरकार ने अपने अधीन ले लिए हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देख भाल के लिए लोक नियमित विभाग हो सौप दिया जाय। लोक नियमित विभाग दूसरा निर्धारित

स्पेसीफिकेशन (Specification) के बनरूप लाने के लिए स्कूल भवनों के मुख्यमत्त के लिए वर्ष 1979-80 में भारी राशि स्वीकृत की गई। लोक निर्माण विभाग धारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन में ढील देकर 983 स्कूलों के भवन लोक निर्माण विभाग की सीधने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया गया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाही की जा रही है और स्टैम्प डिपॉटी में छूट मिल जाने पर यह भवन लोक निर्माण विभाग को सौंप दिए जायेंगे।

ग्रन्थालय-१

“छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता”

9.1 सुपान एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुमूलिक तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीके एवं वित्तीय सहायता हर वर्ष दी जाती है।

9.2 भारत सरकार राज्यीय छात्रवृत्ति योजना

(क) महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 1169 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। इन छात्रवृत्तियों पर 11.10 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

(ख) हरियाणा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य की ओर से कुल 10 छात्रवृत्तियां वर्ष 1979-80 में मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक तथा प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की 40 छात्रवृत्तियों का नवीनकरण भी किया गया। यह छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं अध्यापकों के बच्चों को दी जाती हैं, जिनकी वार्षिक आय/पूल वेतन 6000/- रुपये तक होता है। वर्ष 1979-80 में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों पर कुल 48165/- रुपये का खर्च हुआ।

9.3 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 626 हरियाणी योग्य छात्रों को मैट्रिक सेढ़ी ० ए० की परीक्षाओं के आधार पर मैट्रिक उपर्यात उच्च शिक्षा¹ की

संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियाँ दी गईं। इस रिपोर्टधीन अवधि में योग्यता छात्रवृत्तियों के रूप में 322609/- रु० की राशि छात्रों को वितरित की।

(ii) अनुमूलित जाति तथा पिलड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षा, छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क तथा अन्य खर्चों के लिये राशियाँ दी जाती हैं। इन स्कॉलों के अन्तर्गत रिपोर्टधीन अवधि में लगभग 50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। पिलड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की दरों में भी बढ़ोतरी की गई और अब विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 30/- रुपये मासिक दर से लेकर 70/- रुपये मासिक दर पर भिन्न-भिन्न कोर्सों के लिये छात्रों को छात्रवृत्तिदी जाती है।

9.4 सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नामा में शिक्षा ग्रहण करने के लिये वर्ष 1979-80 में 699 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि एवं कागड़ा भत्ता के रूप में 20,88,719 रुपये की राशि प्रदान की गई।

9.5 राष्ट्रीय क्रष्ण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार हरियाणा के गरीब माता-पिता के योग्य बच्चों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उनको क्रष्ण के तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति क्रष्ण के रूप में दी जाती है। वर्ष 1979-80 में 300 छात्रों को 2.16 लाख रुपये की राशि वितरित की गई तथा 3.65 लाख रुपये की राशि पहाई समाप्त करने वाले छात्रों से बस्तु की गई जो पिलड़े वर्ग में छात्रों को क्रष्ण छात्रवृत्ति के रूप में दी गई थी।

9.6 स्कॉलों में छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा स्नारीय योग्यता छात्रवृत्तिपरीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10/- रु० मासिक दर से वर्ष 1979-80 में 2314 छात्रवृत्तियाँ देने के लिये 3.16 लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई थी।

(ब) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित यापना छावनृति 15/- रुपये मासिक प्रति छावनृति की दर से वर्ष 1979-80 में 3.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस रक्कीम के अन्तर्गत 668 छावनृतियां उपलब्ध की गईं।

9.7 तेल/ भाजा प्रोत्साहन हेतु छावनृतियां

सानकी कक्षा से उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा पूर्ण होने तक तेलगु भाषा की पढ़ाई हेतु वर्ष 1979-80 में 312 छावनृतियां 10/- रुपये प्रति मास की दर से देने के लिये 3740/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

9.8 हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

(क) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के [छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शौक्षणिक व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेद भाव के राज्य के सभी मार्गना प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवंश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छावनृतियों के अनिवार्य परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौकरी, दसवीं तथा ग्रामग्रामी कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 16/- रु 0 मासिक दर से स्टार्टिपैण्ड प्रवान किये जाते हैं। इस रक्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 47.54 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ख) महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं और कार्यों में पढ़ने हेतु 30/- रुपये मासिक दर से 70/- रुपये मासिक दर पर वर्जाएँ/छावनृतियां दी जाती हैं। वर्ष 1979-80 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के लगभग 3400 छात्र/छात्राओं को छावनृतियां दी गईं। 2578 छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये सरकारद्वारा 14.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इसके अनिवार्य प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाती है।

9.9 भारत सरकार के मौद्रिक उपराज्य अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को

छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 40/- रुपये से लेकर 200/- रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियों दी जाती है। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम के अन्तर्गत 39.11 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। यह छात्रवृत्तियां तथा इस प्रकार की अन्य वित्तीय महायता विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/सरकार की वार्षिक आय के अधार पर दी जाती है, जिसकी अधिकतम कुल वार्षिक सीमा 9000/- रुपये है। अनिवार्य रूप से वी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के लिये संस्था शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

९.10 विमुक्त जाति छात्रवृत्ति योजना

स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर विमुक्त जाति के बच्चों की वजीफे एवं छात्रवृत्तियों के लिये 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा 43,300/- रुपये की राशि खर्च करते की व्यवस्था की गई थी। बाद में इस स्वीकृत राशि में 6 प्रतिशत की कटौती सरकार द्वारा लगा दी गई थी।

९.11 हरिजन छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति

इन छात्रवृत्तियों की दर नौवीं कक्षा में 20/- दसवीं में 25/- रुपये तथा 11 वीं कक्षा में पठने वाली हरिजन छात्राओं के लिये 30/- रुपये प्रति मास है। रिपोर्टरीन श्रवण में इन छात्रवृत्तियों के लिये 45,000/- रुपये तक की राशि खर्च करते की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी परन्तु बाद में इस राशि पर भी 6 प्रतिशत कटौती लगादी गई थी।

९.12 यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये 1800/- या इससे कम आय वर्ग के माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्तियां 27/- रुपये से लेकर 65/- रुपये मासिक दर से दी जाती हैं। इस के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम

के अन्तर्गत 1,25,000/- की धन राशि की व्यवस्था की गई थी और 178 छात्रों को लाभ हुआ।

9.13 प्रामीण क्षेत्रों के सुधोग बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रोजेक्ट

प्रामीण क्षेत्रों के सुधोग बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर भारत पर सरकार तथा राज्य की ओर से 6 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड में दी जाती हैं। नुस्खा हां स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1000/- रुपये प्रति वर्ष और अन्य स्कूलों के छात्रों को 500/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने हैं और फीस देते हैं, उन्हें 250/- रुपये प्रति वर्ष और जहाँ फीस में नहीं ली जाती वहाँ 150/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1979-80 में इस परियोजना के लिये

2.73 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

अध्याय दसवां

विविध

खेल कूद

10.1 खेल कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्था की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। खेलों पर व्यव प्राय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि, सरकार से अनुदान तथा खेल विभाग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि से होता है। वर्ष 1979-80 में 12000/- रुपये का अनुदान सरकार से तथा 1000 रुपये की राशि सोर्टेस विभाग से प्राप्त हुई। अंतरराजीय शगड़ कृत् प्रतियोगिता में जिस का आयोजन दिल्ली में हुआ हमारे राज्य के छात्र/छात्राओं ने निम्न पदक जीते :

पदक	संख्या
स्वर्ण पदक	3
रजत पदक	7
कांस्य पदक	4

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को सामुख रखते हुए रिपोर्टधीन अवधि में मिनी नैश्वल गेम्ज का केवल प्रार्थामिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिये आयोजन जालन्धर में किया गया। उसमें हमारे राज्य के स्कूलों के खिलाड़ियों ने 21 श्रंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

10.2 एन०एस०एस०

निश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उसके वौद्विक विकास के लिये भारत सरकार की महायता से हरियाणा राज्य में एन०एस०एस० प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1979-80 में इस प्रोग्राम के अधीन स्वयं सेवकों की संख्या 12000 थी और कालिजों में स्वीकृत एन०एस०एस० यूनिटों की संख्या 120 थी। वर्ष 1979-80 में इस प्रोग्राम के लिये विभाग के बजट में 14,40,000

रूपये की व्यवस्था थी। इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7 : 5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एन०एस०एस० के स्वयं सेवक विशेष राहायोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यथा फारूर रल रिकस्ट्रक्शन अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1979-80 में 110 शिविर लगाये गये। इन शिविरों में से 41 शिविर रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 67 शिविर कुल्लसेत्र विश्वविद्यालय द्वारा तथा 2 शिविर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हिसार लगाये गये। इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों (Slum Area) में लगाये गये। लगभग 6000 लाक्षों ने इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यतः निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

1. Slum clearance.
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-Medical Work.
4. Adult Education.
5. Improvement of Sanitation
6. Plantation of Tree.
7. Popularization & Construction of Gobar gas plant.
8. Eradication of dowry and other Social evils.

10.3 एन०सी०सी०

भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन०सी०सी०सी० के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेनाओं का प्रणिक्षण राज्य में एन०सी०सी० के कैडिट्स को दिया जाता है। महाविद्यालयों के छाव्यों के लिये सीनियर डिवीजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिये जीनियर डिवीजन स्थापित किए हुए हैं। छात्र अपनी स्कॉल्स द्वारा से एन०सी०सी० प्राप्त करते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत

सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर करती हैं। वर्ष 1979-80 में एनोसीएसी० स्कीम को चलाने हेतु 52,20,260/- रुपये का बजट की व्यवस्था की गई। रिपोर्ट-धीन अवधि में मीनियर/जूनियर डिविजन की बटालियन की संख्या और कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडिट्स की संख्या निम्नान्वित रही :

मीनियर डिविजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स स्वीकृत संख्या
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	12	9600
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	1600
वाय स्कॉल	2	400
जल विंग यूनिट	1	200
भ्रुप हैडस्वार्टरजन	2	—
जूनियर डिविजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स की संख्या
आर्मी विंग ट्रूप (लड़कों के लिये)	138	13350
आर्मी विंग ट्रूप (लड़कियों के लिये)	10	1000
वायु विंग	14	1350
जल विंग	5	450
	167	16150

10.4 रैड कास

रैड कास संस्था समाज में रोगियों अंगहीनों पागलों और निर्धनों की सहायता में महत्वार्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों को प्रिय बनाने के लिये राज्य में ज़िला स्तर पर जूनियर रैडकास संस्थायें ज़िला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गईं। शिक्षा संस्थाओं के रैड कास पण्ड में से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दिया, चिकित्सा के लिये आधिक सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत विद्यालयों में एकत्रित रैडकास पण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग चण्डीगढ़ के समीय साकेत में अंगहीन बच्चों तथा अवितरितों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1979 में 87 रबतदान शिविर हरियाणा राज्य में आयोजित किये गये 12,105 अवितरितों ने रबत दान दिया। संस्था आधिक वश में कमज़ोर स्त्रियों तथा बच्चों के लिये 21 क्राफ्ट केन्द्र चलाती है। ये केन्द्र रोहतक हिसार, भिरसा, भिवानी और अम्बाला ज़िले में स्थापित हैं। गरीब बच्चों की वर्दी, दृश्यन कीस, किताबों आदि पर जूनियर रैडकास निधि से 99.17 लाख रुपये किये गये। रिपोर्टधीन अवधि में बच्चों के लिये शिविर धर्मशाला, कुरुक्षेत्र, तारादेवी, मोनीपत, रोहतक, हिसार, अम्बाला तथा गुडगांव में आयोजित किये गये। इस संस्था द्वारा 35,994 पुरुष तथा 74,58 स्त्रियों को फस्ट-एड तथा होम नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 1979-80 में जे0आर0सी0 रुप में सदस्य मंडला 19,51,920 थी, जिनमें 14,66,592 लड़के तथा 4,85,328 लड़कियां थीं।

10.5 भारत स्काउटस एवं गाईडज

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउटस एवं गाईडज आंदोलन छात्रों में भातृ प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के शावृत्यन करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आनंदोलन हरियाणा भारत स्काउटस तथा गाईडज एमोर्मेन्ट के संरक्षण में भल रहा है। वर्ष 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा मंस्था को 1,23 लाख रुपये नान प्लान पक्ष से तथा 1,10 लाख रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

हरियाणा भारत एण्ड स्काउट गाईडज एमोसियेशन द्वारा लगाये गये शिविर तथा इनमें भाग लेने वालों की संख्या :-

शिविर	शिविरों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
१ प्रोफिशंसी बैज प्रशिक्षण शिविर	५	४५८
२ प्रथम श्रेणी स्काउट्स प्रशिक्षण शिविर	३	३३३
३ सर्वस शिविर	३	७४०
४ राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर	८	५३२
५ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर	१	१०
६ प्रधान मन्त्री शील्ड कम्पीटीशन शिविर	१	३२००
७ प्रोफिशंसी बैज प्रशिक्षण शिविर (कन्या)	५	३३८
८ फस्ट क्लास गाईडज शिविर (कन्या)	१	७४
९ समाज सेवा शिविर	१	१३६
१० राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर	१२	६०४
११ कब्ज रैली	१	१२५
१२ गर्लज गाईड रैली	१	२००

10.6 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केवर की सहायता से 83 शिक्षा खण्डों में लगाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम गताद श्रावन दिया जाता है। वर्ष 1979-80 के अन्त में 4,23 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर 33,49 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसमें में 6,25 लाख की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

खण्डों में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन खंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिये खंजीरी गई। इस किचन के खर्चों के लिये सरकार द्वारा 8,72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

10.7 पुस्तकालयों का विकास

वर्ष 1979-80 में ज़िला पुस्तकालय मोर्तीपत में खोला गया है। इस वर्ष इस पुस्तकालय को 12,500/- रुपये की पुस्तकों तथा 13,000 शाये का फर्नीचर उपलब्ध किया गया। अब हरियाणा राज्य में जिना पुस्तकालयों की संख्या 7 से 8 हो गई है।

10.8 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

वर्ष 1979-80 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 6,22 लाख रुपये की राशि एकवित की गई तथा विपद्धारस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 2.9 लाख रुपये महायता के रूप में वितरित किये गये। महायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का घौरा इस प्रकार है:-

1. 78 अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1,000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका तो दर से 78,000/- रुपये अध्यापकों के ग्रन्तिग संस्कार तथा अधिकारक के लिये तबर्द आधार पर तत्काल गहायता के रूप में दिये गये।

2. 95 स्वर्गवासी अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आभितों को 75/- रुपये से 100 रुपये प्रति मास की दर से 1,02,500/- रुपये तक की सहायता एक वर्ष के लिये दी गई।

3. 16 स्वर्गवासी सेवा निवृत अध्यापकों/अध्यापिकाओं की लड़कियों की जारी पर 1,500/- रुपये प्रति लड़की की शादी पर 24,000/- रुपये की सहायता दी गई।

4. 3 स्वर्गवासी अध्यापकों की विधवाओं को 1456 रुपये की सिलाई भशीनें खरोद कर दी गई।

5. 2 अध्यापकों को उनकी लम्बी बीमारों पर 1,000/- रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

6. 2 अध्यापकों को बी0ग0 करने के पश्चात बी0एड कोर्स के लिये 2000/- रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

उपरोक्त वे अतिरिक्त 11 अध्यापकों के 32 बच्चों को मैट्रिक उपरान्त पढ़ाई करने के लिए मैरिट के आधार पर 31900/- रुपये की जात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिये दी गई।

10.9 पाठ्य पुस्तकों तथा अध्यास पुस्तकाओं का उचित मूल्यों पर उपलब्ध करना

पिछले वर्षों की भाँति इस रिपोर्टीन वर्ष में भी शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों तथा अध्यास पुस्तकाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिये विशेष पांग उठाये गये। वर्ष 1979-80 में अनुसूचित जातियों तथा वर्तन्त वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करने हेतु 20.50 लाख रुपये की राशि की पुस्तकों स्कूलों में स्थापित 7142 पुस्तक बैंकर में उपलब्ध की गई। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी यार्गों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों का निःशुल्क वितरित की गई।

परिशिष्ठ “क”

३१-३-८०) को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी ।

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
१	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्रीमती प्रोमिला ईशर आई०ए०एस०
२	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री अर्जुन दास मलिक आई०ए०एस०
३	निदेशक रिसोर्स केन्द्र	प्रथम	श्रीमति स्वर्ण आनिश
४	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री हर कृष्ण सिंह
५	संयुक्त निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री के० पी० अवरोद्ध
६	संयुक्त निदेशक प्रीढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री धर्म सिंह डिल्लो
७	उप निदेशक I (विद्यालय)	प्रथम	कुमारी शान्ता राजदान
८	उप निदेशक-II (सम)	प्रथम	श्री जे० के० सूर
९	उप निदेशक-III (सम)	प्रथम	श्री एम०पी० जैन
१०	उप निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री बी०एल० गोस्वामी
११	उप निदेशक योगना	प्रथम	श्रीमती राजदनारी
१२	उप निदेशक प्रीढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री आर० एस० दत्त
१३	अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष	प्रथम	श्री देवराज सिंह गिल
१४	सहायक निदेशक-I(विद्यालय)	वित्तीय	श्री शवर्ण कुमार
१५	सहायक निदेशक-III (विद्यालय)	वित्तीय	श्रीमती माधुरी जैन

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
१६	सहायक निदेशक-II सम	द्वितीय	श्रीमती कमला छिकारा
१७	सहायक निदेशक अध्यापक प्रशिक्षण	द्वितीय	श्री एस०एस० कौशल
१८	सहायक निदेशक परीक्षा	द्वितीय	श्री मनमोहन सिंह चौधरी
१९	भाग्यक निदेशक कैडिट कोर	द्वितीय	श्री बी० आर० बजाज
२०	भाग्यक निदेशक महाविद्यालय	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार
२१	भाग्यक निदेशक आंकड़ा	द्वितीय	श्रीमती पुष्या अवरोद्ध
२२	भाग्यक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	द्वितीय	श्री जे० के० टण्डन
२३	भाग्यक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	द्वितीय	श्री धर्मपाल गुप्ता
२४	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री नन्द किशोर भारद्वाज
२५	अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	रिक्त
२६	अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	रिक्त
२७	अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	रिक्त
२८	अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	रिक्त
२९	लेखा अधिकारी कालेज	द्वितीय	श्री डब्ल्यू० मी० मलिक
३०	लेखा अधिकारी विद्यालय	द्वितीय	श्री आर० डी० बेदी
३१	बजट अधिकारी	द्वितीय	श्री एम० एन० मैदान
३२	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री एस० एस० शान

परिशिष्ट "ख"

३१-३-८० को जिला स्तर पर अधिकारी।

क्रमांक	ज़िला	ज़िला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप गण्डल शिक्षा अ० का नाम
१	अमृतसर	कु० कृष्णा अरोड़ा	श्री आर०सी० वर्षिष्ठ अमृतसर श्री वी०आर० गोयल, जगाधरी श्री पी०सी० चौधरी, नारायणगढ़
२	भिवानी	श्री आर०पी० गिरधर	श्री के०ए० धवन, भिवानी श्री अमीर सिंह, चरखी बादरी श्री आर०डी० शर्मा, लोहारू
३	गुडगाँव	कु० कृष्णा नोपड़ा	श्री गत्पात सिंह, गुडगाँव श्री जे०गी० लंजेजा, नूह श्री हरबश गिह, फिरोजपुर झिरका
४	हिसार	रिक्त (श्री जे०गी०शर्मा करंट चार्ज)	श्री ओ०पी० जैन, हिसार रिक्त (श्री परस राम करंट चार्ज) हासी श्री कवम भंह, फतेहाबाद
५	जोन्द	श्री वी०गास० पासी	श्री धन सिंह, जीव श्री साधु राम जैन (करंट चार्ज): नरवाना
६	करनाल	श्री हो०शंगार सिंह मलिक	श्री आवनाश चन्द्र, करनाल श्री वी०पी० गौतम, पानीपत

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी	उप मंडल शिक्षा अधिकारी
	का नाम		का नाम
7	कुरुक्षेत्र	श्री ज्ञान स्वरूप शर्मा	श्री वासदेव छाबड़ा, थानेसर श्री पी० चढ़ा, कैथल
8	महेन्द्रगढ़	श्री पी० पी० गोसाई	श्री एस०एस० राधव, नारनौल रिवत (श्री शार्दू राम करंट चार्ज) रिवाड़ी
9	रोहतक	श्री बाबू राम गुप्ता	श्री हृदय राम मलिक, रोहतक श्री लाल चन्द, क्षज्जर श्री सृरज लाल, बहादुरगढ़
10	सिरसा	श्री ओ०पी० बत्ता	श्री एस०आर० मिनल, सिरसा श्रा एन०आर० बैष्ण, डबबाली
11	सोनीपत	श्री प्रेम प्रकाश	श्री ए०डी० तालिब, सोनीपत श्री आत्मा राम शर्मा (करंट चार्ज) गोहाना
12	फरीदाबाद	श्री प्रेम प्रकाश	श्री बलराज शर्मा, पलवल श्री इन्द्र सिंह घई, बहलबगढ़

परिषिठाठ "ग"

31-3-80 को श्रेणी ॥ तथा ॥ के कुल पद कालेज और स्कूलों के अलग-
अलग

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
1	प्राचार्य रा० महाविद्यालय	प्रथम	26	21	5
2	प्रोफेसर रा० महाविद्यालय	प्रथम	2	1	1
3	निदेशक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान गृड़गांव	प्रथम	1	1	-
4	इन्वार्ज विज्ञान यूनिट	प्रथम	1	1	-
5	इन्वार्ज सेवा कालीन अनुभाग	प्रथम	1	-	1
6	इन्वार्ज हैब्नालोर्डी सैल	प्रथम	1	-	1
7	प्राचार्य रा० उ० मा० वि०	द्वितीय	77	55	22
8	प्राचार्य ज० बी० टी० स्कूल	द्वितीय	4	2	2
9	वरिष्ठ विशेषज्ञ	द्वितीय	3	2	1
10	विज्ञान परामर्शी	द्वितीय	1	1	-
11	मूल्यांकन प्रधिकारी	द्वितीय	2	1	1
12	परामर्शदाता	द्वितीय	1	1	-

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
13	प्राध्यापक	द्वितीय	715	212	927
14	उप मन्डल शिक्षा अधिकारी/ उप जिला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	41	28	13
15	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	12	10	2
16	तकनीकी प्राध्यापक	द्वितीय	7	7	-
17	राज्य पुस्तकालयक्ष	सम	1	1	-
18	जिला प्रोड शिक्षा अधिकारी	प्रथम	11	6	रिक्त 5
19	परियोजना अधिकारी	द्वितीय	11	6	5
20	इंचार्ज टैक्नालोजी सैल	प्रथम	1	रिक्त	रिक्त
21	इंचार्ज सेवा कालीन अनुभाग	प्रथम	1	-	1

Sub: National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....IS.....
Date.....20/5/87